सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 03/04/2016

1 श्रीमति विनोदिनी गोयनका पत्नी स्व0 प्रेमचन्द गोयनका जाति महाजन निवासी 901 मैकेयर गार्डन्स, 4 मैफेयर रोड कोलकाता 700019 पच्चिम बंगाल ....प्रार्थीगण

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0
उपस्थित :1. श्री सीताराम विशिष्ट एड0– प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार – अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 08.04.2021**

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का आवश्यक तथ्य विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र सी0पी0सी0 धारा 144 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा संख्या 49/14 बीघा, खसरा संख्या 52/ 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 54/3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 55/2बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 56/1बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 57/5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 58/ 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 79/4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 80/7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 46/1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 47/3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 48/4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 50/5 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 60 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम [illegible] तहसील रजगढ़ जिला अलवर में अवस्थित है जिसके बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा हाल खसरा संख्या 16/0.20 है0, 117/2.08 है0 117/408/0.50 है0 117/409/0.50 है0 118/0.27 है0 व अन्य वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

नैडोली तहसील राजगढ़ कायम किये गये है। उक्त साबिक खसरा संख्यान की आराजी प्रार्थिया के चाचा स्व0 श्री प्रेमचन्द गोयनका ने तत्कालीन खातेदार श्री मुरारदान पुत्र श्री छाजूसिंह जाति बारेठ निवासी अहमदपुर जिला अलवर से दिनांक 01.11.1969 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.02.1970 को खरीद की तथा श्री प्रेमचन्द गोयनका के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 25.07.1970 तस्दीक होने से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज हो गया।

2. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3क के अन्तर्गत मुरारदान पुत्र छाजूसिंह के विरूद्व सीलिंग की कार्यवाही आरम्भ की। मुरारदान द्वारा उक्त साबिक आराजी खसरा संख्या 49/14 बीघा, खसरा संख्या 52/ 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 54/3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 55/2बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 56/1बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 57/5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 58/ 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 79/4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 80/7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 46/1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 47/3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 48/4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 50/5 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 60 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम नैडोली तहसील राजगढ़ जिला अलवर को सीलिंग कार्यवाही हेतु विकल्प के रूप में रिकार्ड में दर्ज करा दिया एवं दिनांक 23.09.1971 को उक्त आराजी का राज सरकार को समर्पण कर दिया। दिनांक 15.10.1971 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा मुरारदान द्वारा प्रस्तुत सीलिंग हेतु विकल्प स्वीकार कर लिया। प्रेमचन्द गोयनका ने निर्णय दिनांक 15.10.1971 के विरूद्व राजस्थान काश्स्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 30 व नियम 27 के तहत एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.11.1971 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा दिनांक 11.10.1972 को अपने ही निर्णय दिनांक 15.10.1971 के निर्णय को निरस्त करते हुये मुरारदान द्वारा प्रस्तुत समर्पण को निरस्त करते हुए [illegible] आराजी पर प्रेमचन्द गोयनका के खातेदारी अधिकार पुर्नस्थापित कर दिये। प्रेमचन्द गोयनका [illegible] उक्त साबिक आराजी को दिनांक 28.03.1973 को संपूर्ण संपत्ति प्रार्थिया के माता–श्रीमति [illegible] गोयनका एवं पिता–श्री हरिशचन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

गोयनका को संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड बयानामा बेचान कर दी जिनकी मृत्यु–पश्चात् प्रार्थिया एक मात्र संतान एवं कानूनी वारिस होने की वजह से उक्त आराजी की कब्जेकाश्त खातेदार हो गई।

3. राज्य सरकार की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दिनांक 11.01.1972 के विरूद्व न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष एक रेफरेंस प्रस्तुत किया गया तथा जिला कलेक्टर अलवर ने दिनांक 29.04.1976 को उक्त रेफरेंस को न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर दिया। राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त रेफरेंस को 84/76 के रूप में दर्ज कर लिया। इसी दौरान तहसीलदार राजगढ़ ने इंतकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 को तस्दीक करते हुये उक्त कुल आराजी 60 बीघा 12 बिस्वा में से 46 बीघा 15 बिस्वा आराजी को प्रार्थिया के पिता हरिशचन्द्र गोयनका के पक्ष में राजस्व रिकार्ड को बदस्तूर रखते हुये शेष आराजी 13 बीघा 17 बिस्वा को सिवायचक दर्ज कर दिया। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रेफरेंस संख्या 84/76 निर्णय दिनांक 02.02.1978 द्वारा उक्त रेफरेंस को राज्य सरकार के पक्ष में निर्णित कर दिया। प्रार्थिया द्वारा रेफरेंस निर्णय दिनांक 02.02.1978 के विरूद्व एक रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय दिनांक 17.04.1980 को नजरसानी स्वीकार की तथा रेफरेंस संख्या 84/76 अस्वीकार कर दिया। साथ ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय दिनांक 11.01.1972 को सही ठहराया। तत्पश्चात् प्रार्थीया द्वारा सी0पी0सी की धारा–144 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीलिंग की कार्यवाही के दौरान नामान्तकरण संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 के द्वारा सिवायचक दर्ज की गयी आराजी को प्रार्थिया की खातेदारी में पुनः स्थापित करने का अनुतोष अभिवचन कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण तल[illegible]ये। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। अप्रार्थी ने अपना [illegible] प्रस्तुत किय[illegible]जिसमें प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र तथ्यों व कान[illegible] रूप से विपरीत होने के कारण खारिज योग्य बताते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थिया की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसमें प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया मात्र गया तथा निवेदन किया गया कि पुर्नस्थापना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इंतकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 द्वारा सिवायचक दर्ज आराजी पर पुनः प्रार्थिया की खातेदारी अधिकार बहाल किये जावें।

6. अप्रार्थी ने अपनी दौरान–ए–बहस निवेदन किया कि प्रथमतया प्रार्थिया का प्रकरण सीलिंग के तहत आना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–30 (1973 से पूर्व) में स्पष्ट उल्लेख है कि सीलिंग की प्रक्रिया से पूर्व कुछ सद्भावी हस्तान्तरण ही सीलिंग कार्यवाही से उन्मुक्त थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–30 (1973 से पूर्व) के अनुसार सद्भावी हस्तान्तरण की शर्तो के तहत (1) क्रेता राजस्थान–राज्य का अनिवार्य रूप से निवासी हो (2) विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 30 (1973 से पूर्व) में उल्लेखित निश्चित तिथि से पूर्व किये गये हो (3) विक्रय की राशि आराजी के वास्तविक मूल्य के अनुसार हो। उपरोक्त सन्दर्भो में उक्त हस्तान्तरण सद्भावी हस्तान्तरण नही कहा जा सकता क्योंकि (1) क्रेता (श्री प्रेमचन्द गोयनका) पश्चिम बंगाल के निवासी मुताबिक जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दर्ज है तथा (2) 60 बीघा 14 बिस्वा भूमि केवल रू 10000 में क्रय की गयी है।

7. साथ ही अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र इंतकाल संख्या 47 दिनांक 27.06. 1976 के द्वारा सिवायचक दर्ज की गई प्रक्रिया को रेस्टीट्यूट करने हेतु करीब 40 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जो कि लिमिटेशन से विवर्धित है तथा प्रार्थिया ने यह कही भी प्रदर्शित नही किया है कि इंतकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के अध्याय 3क (1973 से पूर्व) के अनुसार पुरानी सीलिंग विधि के तहत अमल में लाया [illegible] है या नई सीलिंग विधि–1973 के तहत कार्यवाही कर अमल में लाया गया है। इस प्रकार प्रार्थि[illegible] अपना प्रकरण साबित करने में असफल रही। इस कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में बहस वकुलाय पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गहन विश्लेषण से पूर्व धारा– 144 सी0पी0सी का उद्दरण यहां उचित प्रतीत होता है–

> **144.** ***Application for restitution*** *– (1) Where and in so far as a decree or an order is varied or reversed in any appeal, revision or other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose, the Court which passed the decree or order shall, on the application of any party entitled in any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will, so far as may be, place the parties in the position which they would have occupied but for such decree or order or such part thereof as has been varied, reversed, set aside or modified; and, for this purpose, the Court may make any orders, including orders for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation and mesne profits, which are properly consequential on such variation, reversal, setting aside or modification of the decree or order.*

9. धारा– 144 सी0पी0सी0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी कोर्ट के किसी आदेश, डिक्री आदि के कारण किसी पक्षकार को कोई लाभ, राहत आदि प्राप्त होती है तथा उक्त आदेश के निरस्त होने, परिवर्तित होने, संशोधित होने आदि के कारण पक्षकार [illegible] किया गया लाभ वैधानिक नही रह जाता है। इस स्थिति में सक्षम न्यायालय का कर्तव्य है कि [illegible] पक्षकारों को हानिकारक स्थिति से विमुक्त रखे तथा वैध स्थिति को पुर्नस्थापित करें। पुर्नस्थापन [illegible] दो आवश्यक शर्ते है जो धारा– 144 सी0पी0सी0 में उल्लेखित है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

शर्त संख्या–1 *किसी सक्षम न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश डिक्री के द्वारा कोई पक्षकार किसी लाभकारी स्थिती में प्राप्त करता है तथा वह आलोच्य निर्णय, आदेश डिक्री किसी आगामी कार्यवाही में निरस्त, परिवर्तित या संशोधित हो जाती है तो उक्त स्थिति में पक्षकारों को ऐसी स्थिति में पुर्नस्थापित किया जावे जैसे कि वे उस निर्णय, आदेश या डिक्री की अनुपालना होने से पूर्व सुस्थापित थे।*

शर्त संख्या–2 *सम्बन्धित पक्षकार या पक्षकारों को पुर्नस्थापित वही न्यायालय करेगा जिसके निर्णय, आदेश या डिक्री के अनुपालन द्वारा कोई पक्षकार किसी लाभकारी परिस्थिति को प्राप्त करता है।*

10. उपरोक्त शर्तो के साथ–साथ कुछ न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। इस क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 2422/1977 प्रकरण ***Neelathupara Kummi Seethi Koya Phangal (Dead) by LRs Vs. Motharaplla Padippua Attakoya & Ors.*** में दिये गये निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है–

3. In 1976 Amendment Act suitable amendment was made and explanations (a) to (c) were added but they have no relevance for the purpose of the case. The question, therefore, is whether the transferee executing court is a 'Court of first instance' within the meaning of Section 144(1), C.P.C. A bare reading of Sub-section (1) [illegible]es indicate that the application for restitution would lie when the decree executed is reversed or varied or modified. The doctrine of restitution is

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

based upon the high cardinal principle that the acts of the Court should not be allowed to work in injury or injustice to the suitOrs. [Section 144](), therefore, contemplates restitution in a case where property has been received by the decree-holder under the decree, which was subsequently either reversed or varied wholly or partly in those proceedings or other proceedings. In those set of circumstances law raised an obligation on the party that received the benefit of such reversed Judgment to restitute the property to the person who had lost it. In that behalf in Sub-section (2) a right of suit was taken out and an application under Sub-section (1) was contemplated for execution of the decree by way of restitution. Sub-section (1) clearly indicates that it is a 'court of first instance' in which the proceedings in the suit had been initiated and a decree was passed or the suit was dismissed, but subsequently on appeal decreed or vice versa. The court of first instance would, therefore, mean the court which passed the decree or order. The transferee executing court is not the court that passed the decree or order, but the decree was transmitted to facilitate exec[illegible] that decree or order since the property sought to be execu[illegible]or the person who is liable for execution is situated [illegible] residing within the jurisdiction of that executing court. Therefore, the court

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

which is competent to entertain the application for restitution is the court of first instance i. e. Administrator's Court (Subordinate Judge) that decreed the suit, and not the court to which the decree was transmitted for execution. The court of first instance of Administrator is now designated as Court of Subordinate Judge, but application for restitution was filed in executing court, namely, the court of District Munsif at Androth. Thus in the face of the language of Section 144, the District Munsif at Androth, by no stretch of imagination be considered to be court of first instance. Its order of restitution is without jurisdiction and, therefore, it is a nullity. The High Court is accordingly right in its conclusion that the order for restitution is clearly vitiated by error of law and lack of jurisdiction. We do not find any ground warranting interference. The appeal is dismissed, but in the circumstances without costs.

11. सी0पी0सी0 की धारा 144 के तहत कार्यवाही की प्रकृति के विश्लेषण के सन्दर्भ में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त *C.S. Ratanchand vs Multanmull Sesnamull* के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण करना यहॉ उचित प्रतीत होता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

8. A careful analysis of this Section (Section 144) will be very helpful in determining the nature of a proceeding;

(1) There should be a varition or reversal of a decree or an order under which a party has realized some benefit;

(2) Such variation or reversal should result in entitling a party to a benefit by way of restitution or otherwise;

(3) The effect of the order or restitution shall be such as to place the parties in the position which they would have occupied but for such decree or order which has been varied or reversed wholly or partially;

(4) In so restoring the parties to their original position, the power of the Court extends to passing an order including an order for refund of costs, payment of interest, damages, compensation or mesne profits; and lastly (5) The order for refund or payment must be property consequential on such variation or reversal.

It would thus be manifest that an application for restitution is not a proceeding for enforcing directly a command or a direction contained in any decree or order but for obtaining an order resforing the parties to status quo ante as a consequence of the reversal or variation of a decree or order under which one of the parties had obtained some benefit.

12. सी0पी0सी0 की धारा 144 की पूर्व शर्त संख्या 1 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय पर सी0पी0सी0 की धारा 144 के तहत अध्यारोपित कर्तव्यों की व्याख्या के सन्दर्भ में उक्त उद्धरण के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित सिविल अपील संख्या 880/2019 प्रकरण Murti Bhawani Mata Mandir Vs. Rajesh & Ors. के निर्णय का प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है—

"Section 144. applies to a situation where a decree or an order is varied or reversed in appeal, revision or any other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose. In that situation, the Court which has passed the decree may cause restitution to be made on an application of any party entitled, so as to place the parties in the position which they would have occupied but for the decree or order or such part thereof as has been varied, reversed, set aside or

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

modified. The court is empowered to pass orders which are consequential in nature to the decree or order being varied or reversed.”

13. इसी प्रकार शर्त संख्या–2 के संदर्भ में भी कुछ न्यायिक दृष्टान्त का उद्धरण आवश्यक प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित सिविल अपील संख्या 8400/2019 प्रकरण *Banshidhar Sharma Vs. the State of Rajasthan के निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है–*

> *17. It clearly transpires that Section 144 applies to a situation where a decree or order is varied or reversed in appeal, revision or any other proceeding or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose. The principle of doctrine of restitution is that on the reversal of a decree, the law imposes an obligation on the party to the suit who received the benefit of the decree to make restitution to the other party for what he has lost. This obligation arises automatically on the reversal or modification of the decree and necessarily carries with it the right to restitution of all that has been done under the decree which has been set aside or an order is varied or reversed and the Court in making restitution is bound to restore the parties, so far as they can be restored, to the same position as they were in at the time when the Court by its action had displaced them.*
>
> 18**-** *Indisputedly, in the instant case, there was no decree or order of the trial Court by virtue of which the appellant was given possession of the subject p[illegible]On the contrary, the suit filed at the instance of the app[illegible]tplaintiff came to be dismissed with costs and that ca[illegible] to be confirmed on dismissal of the first appeal by the Single Judge of the High*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

Court and special leave petition filed before this Court also came to be dismissed. The possession was handed over to the appellant of the subject property under the interim order passed by the High Court pending first appeal of which a reference has been made and after the appeal came to be dismissed, its logical consequence was noticed by the High Court in its judgment dated 20th April, 2018 directing the appellant to hand over possession of the subject property to the respondents defendants obviously for the reason that on dismissal of the first appeal preferred by the appellant, he was under an obligation to restore back peaceful possession to the respondents on vacation of the interim orders .

14. इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित सिविल अपील संख्या 880/2019 प्रकरण Murti Bhawani Mata Mandir Vs. Rajesh & Ors. के निर्णय का प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है–

In the present case, the interim order of the Trial court did not require the defendant to hand over the possession to the plaintiff. There was no decree or order of the Trial court by virtue of which the appellant was given possession of the property, nor did any decree or order mandate that the respondent hand over possession to the appellant.

Signature Not Verified
Digitally signed by:Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

15. उक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टान्तों के सन्दर्भ में वर्तमान प्रकरण में प्रथमतः पुनर्स्थापन हेतु यह देखना आवश्यक है कि सक्षम न्यायालय के किसी आदेश, निर्णय या डिक्री को आगामी किसी कार्यवाही में निरस्त, परिवर्तित एवं संशोधित किया गया है अथवा नही। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने निर्णय दिनांक 11.01.1972 द्वारा सीलिंग कार्यवाही हेतु मुरारदान द्वारा दिया गया विकल्प को निरस्त करने का निर्णय पारित किया। राज्य सरकार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 11.01.1972 के विरूद्व रेंफरेंस प्रस्तावित किया गया। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 02.02.1978 के द्वारा उक्त रेफरेंस स्वीकार कर लिया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 17.04.1980 को उक्त रेफरेंस अस्वीकार कर दिया और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ का निर्णय दिनांक 11.01.1972 को बहाल रखा। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय आगामी न्यायिक कार्यवाहियों में कही भी निरस्त, परिवर्तित या संशोधित नही हुआ है। अतः उक्त प्रकरण में सी0पी0सी0 की धारा 144 की पूर्व शर्त संख्या–1 पूर्व नही होती है।

16. द्वितीय प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय पत्रावली के अवलोकन से यह कही भी स्पष्ट नही होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दिनांक 15.10.1971 एवं 11.01.1972 द्वारा उक्त आराजी किसी अन्य पक्षकार को आवंटित की जाकर कब्जा दिया गया है। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ का निर्णय मुताबिक पत्रावली प्रार्थिया के पक्ष में रहा है। साथ ही प्रार्थिया द्वारा यह कही भी स्पष्ट नही किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के किस आदेश के तहत इंतकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 तस्दीक किया गया है। साथ ही प्रार्थिया यह भी स्पष्ट करने में असफल रही है कि इंतकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय– 3क के अन्तर्गत कार्यवाही के तहत अमल–दरामद किया गया अथवा नया सीलिंग कानून–1973 के तहत अमल–दरामद किया गया है। [illegible] इंतकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 सीलिंग विधि के तहत अमल–दरामद किया जाकर [illegible] उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 15.10.1971 के अनुपालना में अमल में लाया जाता है तो उक्त संपूर्ण आराजी सिवायचक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज की जाती। परन्तु स्वयं प्रार्थिया का कहना है कि उक्त कुल आराजी 60 बीघा 12 बिस्वा में से 46 बीघा 15 बिस्वा प्रार्थिया की खातेदारी का इन्द्राज बदस्तूर रखते हुये केवल शेष 13 बीघा 17 बिस्वा आराजी को ही सिवायचक दर्ज किया गया है। इसका स्पष्टीकरण बाबत् कोई दस्तावेज संलग्न पत्रावली नही है। यह हो सकता है नया सीलिंग कानून–1973 की पृथक कार्यवाही के तहत इंतकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 दर्ज किया गया हो। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया द्वारा यह स्पष्ट नही किया जा सका कि इंतकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 किसी अन्य कार्यवाही के तहत अमल में नही लाया गया तथा केवल प्रार्थिया की आराजी ही सिवायचक दर्ज क्यों की गई है। इससे स्पष्ट है कि इन्तकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के किसी आदेश द्वारा अमल–दरामद नही किया गया है।

17. साथ ही प्रार्थिया द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि उक्त आराजी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के आदेश के तहत ही सिवायचक दर्ज की गई है। इस हेतु प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के पैरा 8 का उद्वरण प्रासंगिक है–

> ***8. यह है कि श्रीमान जिलाधीश महोदय, अलवर के उक्त रेफरेन्स निर्णय दिनांक 29.04.1976 के आधार पर ही जबकि विधिक प्रक्रियाएं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे चल रही थी, ऐसे में गैर न्यायोचित कतई गलत व विधिविरूद्व, बिना क्षेत्राधिकार, मनमाने इकतरफा तरीके से एवं संभवतय विद्वेषपूर्ण कारणों से तत्कालीन श्रीमान तहसीलदार राजगढ ने <u>नामान्तकरण/इन्तकाल</u> संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 द्वारा प्रार्थिया की उक्त कब्जे काश्त खरीदशुदा हकूक खातेदारी भूमि को खातेदारी में से हटाकर सिवाएचक लगानी जी दर्ज कर दिया***

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

18. उक्त पैरा में प्रार्थिया की स्वीकारोक्ति है कि नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 जिला कलेक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 29.04.1976 के आधार पर दर्ज किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 144 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत Court of first Instance जिला कलेक्टर अलवर का न्यायालय होता

है। अतः प्रार्थिया के स्वयं की स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का धारा– 144 सी0पी0सी0 पर उक्त प्रकरण में विचारण क्षेत्राधिकार से बाहर है एवं विधिक रूप से अवैधानिक है।

19. प्रकरण का लिमिटेशन एक्ट–1963 के सन्दर्भ में विश्लेषण भी आवश्यक प्रतीत होता है। इसी क्रम में धारा 144 सी0पी0सी0 1908 पर लिमिटेशन के बारे में लिमिटेशन एक्ट की प्रथम अनुसूची के प्रासंगिक

Description of suit	***Period of limitation***	***Time from which period begins to run***
136. For the execution of any decree (other than a decree granting a mandatory injunction) or order of any civil court.	***Twelve years.***	***1[When] the decree or order becomes enforceable or where the decree or any subsequent order directs any payment of money or the delivery of any property to be made at a certain date or at recurring periods, when default in making the payment or delivery in respect of which execution is sought, takes place: Provided that an application for the enforcement or execution of a decree granting a perpetual injunction shall not be subject to any period of limitation.***
137. Any other application for which no period of limitation is provided elsewhere in this Division.	***Three years.***	***When the right to apply accrues.***

इन्द्राज का उद्धरण विश्लेषण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है–

सत्यमेव जयते

20. लिमिटेशन एक्ट के सन्दर्भ में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त *C.S. Ratanchand vs Multanmull Sesnamull on 22 March,* प्रासंगिक पैरा का उद्धरण करना यहॉ उचित प्रतीत होता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

20. For the reasons above recorded, we are of the opinion that an application for the relief of restitution is not an application for execution of the appellate Decree or order but is an application praying to the Court to ad-judicate upon the rights of parties to the petition and to grant a decree to the aggrieved party embodying the benefit that he is found entitled to under the context 01 the decree or order already executed and the same having been subsequently varied or reversed. This view is consistent with the ratio of the unreported decision of this High Court in Mohamed Iqbal v. Haji Mohamed, R.a. no. 64 of 1960 (Mys) in which it was laid down that an order passed, under Section 144 is not an order in execution under Section 47 of the Code for the purpose of the Court Fee Act and that ad valorem court-fee should be paid on the memorandum of appeal as such order amounts to a decree within the meaning of Section 2(2) of the code.

21. लिमिटेशन एक्ट की प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 136 एवं 137 के अनुसार भूमि पर वापस कब्जा पाने हेतु अधिकतम अवधि 12 वर्ष है। प्रकरण में धारा 144 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र करीब 35 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है और इस विलम्ब का युक्तियुक्त कारण प्रार्थिया द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र लिमिटेशन से भी विवर्धित है। उक्त आधार पर न्यायालय प्रार्थना पत्र धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

22. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रथमतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के किसी निर्णय, आदेश, डिक्री के द्वारा उक्त मुतनाजा आराजी सिवायचक दर्ज नही की गई। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के किसी निर्णय, आदेश, डिक्री द्वारा प्रार्थिया को कोई हानिकारक स्थिति प्रदान की गई। द्वितीय उक्त प्रकरण से संबंधित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ का कोई निर्णय, आदेश, डिक्री आगामी कार्यवाहियों में निरस्त, परिवर्तित एवं संशोधित की गई। इस प्रकार सी0पी0सी0 की धारा 144 की पूर्व शर्त अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ पर लागू नही होती है। तृतीय प्रार्थिया यह साबित करने में विफल रही कि इन्तकाल संख्या 47 दिनांक 27.06.1976 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3क के तहत अमल में लाया गया है अथवा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण) अधिनियम 1973 के लागू होने के पश्चात् सिलिंग कार्यवाही के तहत अमल में लाया गया है। चतुर्थ प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र परिसीमा अवधि के विवंधन के कारण विचारण योग्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र नामंजूर किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 पत्र साबित नही होने, विचारण योग्य नही होने तथा विधिक प्रावधानों के अनुसार सुसंगत नही के कारण अस्वीकार किया जाता है। अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज को यथावत रखा जावें।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:30 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ